नियम 119 : प्रधान और [1][छुट–पुट कार्य करने वाले कर्मकार] द्वारा रखे स्टॉक की घोषणा

प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 141 के उपबंध लागू हैं **[2][**नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए**]** के भीतर **प्ररूप जीएसटी ट्रान–1** में एक घोषणा इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके द्वारा नियत दिन पर रखे निवेश का स्टॉक, अर्ध तैयार माल या तैयार माल जो लागू हो विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा करेगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा ''अभिकर्ता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 36/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2017 द्वारा ''नियत दिन के नब्बे दिन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।